महत्वपूर्ण/समयबद्ध

प्रेषक,

निदेशक,
(प्रशासन एवं विकास)
पशुपालन विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,
आजमगढ़/बलिया/मऊ/झांसी/ललितपुर/जालौन/चित्रकूट/हमीरपुर/बांदा/महोबा/इलाहाबाद/कौशाम्बी/फतेहपुर/प्रतापगढ़/मिर्जापुर/सोनभद्र/भदोही/वाराणसी/चन्दौली/गाजीपुर/जौनपुर।

पत्रांकः 45 /चारा/3डी–59/रा0यो0/2016–17, दिनांकः 08.03.17

विषयः **अपौष्टिक चारे एवं सेल्यूलोजिक वेस्टेज को उपचारित कर पौष्टिक बनाने की योजना (रा0यो0) अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए आवंटित धनराशि के सापेक्ष उपयोग हेतु दिशा–निर्देश।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक विभाग द्वारा प्रस्तुत योजना के समक्ष शासन द्वारा संदर्भित योजना के कियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या–55/2016/1052/सैंतीस–2–2016–1(42)/2014, दिनांक 5 मई, 2016 द्वारा वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गई है, जिसका आवंटन कार्यालय के पत्र संख्या–430/बजट/29(5)अनु0–15/31/2015–1 दिनांक 03.03.2017 द्वारा किया गया है। जनपदवार निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप निम्न दिशा–निर्देशो का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुये योजना को कियान्वित किया जायः–

1– योजना प्रदेश के अवशेष उक्त 21 जनपदो के मुख्य पशु चिकित्साधिकारियों द्वारा जनपद में पदस्थ पशुचिकित्साधिकारियों के सहयोग से उक्त 21 जनपदों की 17150 ग्राम पंचायतों में से 7256 ग्राम पंचायतों में ही चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 में संलग्न विवरण **(परिशिष्ट–1)** के अनुसार संचालित किया जायेगा।

2– जनपदवार निर्धारित ग्राम पंचायतों में से प्रति ग्राम पंचायत से 01 इच्छुक लघु/सीमान्त पशुपालक, जो कम से कम 02 बड़े दुधारू पशु पालता हो, का ही चयन किया जायेगा। प्रदेश के अल्पसंख्यकों की भागीदारी शासनादेशों के अनुसार सुनिश्चित की जाये।

3– आदर्श चुनाव आचार संहिता के समाप्त होने के पश्चात् दैनिक समाचार पत्रो में विज्ञप्ति के माध्यम से प्रचार–प्रसार किया जायेगा। लाभार्थियों का चयन मुख्य पशुचिकित्साधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति, जिसमें उपमुख्य पशुचिकित्साधिकारी सदस्य/सचिव, सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी अथवा उसके द्वारा नामित सदस्य तथा सम्बन्धित पशुचिकित्साधिकारी सदस्य होंगे, के द्वारा लाभार्थियों का चयन ग्राम सभा की बैठक में आये प्रस्ताव एवं उपर्युक्त निर्धारित पात्रता के आधार पर किया जायेगा।

4– प्रत्येक लाभार्थी को विभाग द्वारा निम्न सामग्री निर्धारित फर्म से अनुमोदित दर पर कय कर **निःशुल्क** उपलब्ध करायी जायेगी–

1–लोअर प्लास्टिक सीट आकार 90''x 60''	–एक
2–अपर प्लास्टिक सीट आकार 102'' x 72''	–एक
3–दस ली0 क्षमता वाला स्प्रिंकलर	–एक
4–यूरिया उपचार संबंधी तकनीकी निर्देशिका	–एक

5– कार्यालय पत्र संख्या 430/बजट/29(5)अनु0–15/31/2015–1, दिनांक 03.03.2017 द्वारा आवंटित धनराशि में दिये गये निर्देशो का शत–प्रतिशत अनुपालन करते हुये मदवार व्यय/कय निम्नानुसार किया जायेगाः–

(अ) **मानक मद 42**–अन्य व्यय में आवंटित धनराशि से **स्प्रिंकलर एवं तकनीकी निर्देशिका।**

(ब) **मानक मद 43**–सामग्री एवं सम्पूर्ति में आवंटित धनराशि से **लोअर एवं अपर प्लास्टिक सीट।**

6– चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु योजना अन्तर्गत क्रय की जाने वाली सामग्री की दरो एवं फर्मो का निर्धारण निदेशालय स्तर से कर दिया गया है। संलग्न दर सूची एवं नियम शर्तो का संज्ञान लेते हुये आवश्यक सामग्री की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाय। **(संलग्नक–2)**

7– क्रय की जाने वाली सामग्री हेतु उ0प्र0 भण्डार क्रय नियमावली के अनुक्रम में सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

8– किसी भी परिस्थिति में शासनादेश संख्या 55/2016/1052/सैंतीस–2–2016–1(42)/2014, दिनांक 05 मई, 2016 के माध्यम से प्रदत्त निर्देशों एवं अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्गत कार्यक्रम संचालन हेतु विभिन्न निर्देशों का विचलन न किया जाय।

9–चयनित लाभार्थी का पूर्ण विवरण पशुचिकित्सालय/मु0प0चि0अ0 कार्यालय पर रखा जाय, ताकि योजना का मूल्यांकन/अनुश्रवण करने वाले अधिकारी को तत्काल सूचनाये उपलब्ध करायी जा सके। चयनित लाभार्थियों की सूचना निम्न प्रारूप पर तत्काल उपलब्ध करायी जाय :–

क्रमांक	लाभार्थी का नाम	पिता का नाम	लाभार्थी की श्रेणी	स्थायी पता	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	मोबाइल नं0
1	2	3	4	5	6	7	8

10–योजना के क्रियान्वयन हेतु अधिकारियों एवं कर्मचारियों का स्पष्ट उत्तरदायित्व निर्धारित कर दिया जाय, ताकि किसी भी स्तर पर शिथिलता न बरती जाय।

11–इस कार्यक्रम का अनुश्रवण/सत्यापन मुख्य पशुचिकित्साधिकारी एवं चारा से सम्बन्धित स्टाफ द्वारा शत–प्रतिशत किया जायेगा। इसके अतिरिक्त मण्डलीय अपर निदेशक ग्रेड–।। द्वारा भी सत्यापन किया जायेगा।

12–आवंटित धनराशि का व्यय प्रदेश में आदर्श चुनाव आचार संहिता की समाप्ति के तुरन्त बाद प्रत्येक दशा में इसी वित्तीय वर्ष में किया जाना सुनिश्चित करें तथा व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र निदेशालय को दिनांक 31.03.2017 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(डा0 सी0एस0यादव)
निदेशक,
प्रशासन एवं विकास।

पत्रांकः /चारा/3डी–59/रा0यो0/2016–17, दिनांकः

1–प्रतिलिपि– सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक ग्रेड–2, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने अधीनस्थ मुख्य पशुचिकित्साधिकारी से उक्त के सम्बन्ध में अनुपालन इसी वित्तीय वर्ष में कराना सुनिश्चित करें।

2–प्रतिलिपि सम्बन्धित जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0 को सूचनार्थ प्रेषित।

3–प्रतिलिपि प्रमुख सचिव, पशुधन, उ0प्र0, शासन, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

4–विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(डा0 सी0एस0यादव)
निदेशक,
प्रशासन एवं विकास।

परिशिष्ट 'क'

पत्र संख्या- 430 /बजट/29(5)/अनु0-15/36/2016-17, दिनांक 3-3-2017 का संलग्नक ।

(धनराशि रुपये में)

क्र. सं.	मण्डल का नाम	आहरण वितरण अधिकारी का पदनाम	ग्राम पंचायतों की सख्या	लाभार्थियों की संख्या	मानक मद का नाम 42-अन्य व्यय	43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आजमगढ	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, आजमगढ	1872	792	465300.00	545688.00	**1010988.00**
		मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, बलिया	949	401	235588.00	276289.00	**511877.00**
		मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, मऊ	684	289	169788.00	199121.00	**368909.00**
		योग	**3505**	**1482**	**870676.00**	**1021098.00**	**1891774.00**
2	झाँसी	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, झाँसी	496	210	123375.00	144690.00	**268065.00**
		मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, ललितपुर	416	176	103400.00	121264.00	**224664.00**
		मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, जालौन	575	245	143938.00	168805.00	**312743.00**
		योग	**1487**	**631**	**370713.00**	**434759.00**	**805472.00**
3	चित्रकूटधाम	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, चित्रकूट	335	142	83425.00	97838.00	**181263.00**
		मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, हमीरपुर	339	143	84013.00	98527.00	**182540.00**
		मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, बाँदा	471	200	117500.00	137800.00	**255300.00**
		मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, महोबा	273	115	67563.00	79235.00	**146798.00**
		योग	**1418**	**600**	**352501.00**	**413400.00**	**765901.00**
4	इलाहाबाद	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, इलाहाबाद	1637	692	406550.00	476788.00	**883338.00**
		मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, कौशाम्बी	498	211	123963.00	145379.00	**269342.00**
		मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, फतेहपुर	840	355	208563.00	244595.00	**453158.00**
		मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, प्रतापगढ	1255	532	312550.00	366548.00	**679098.00**
		योग	**4230**	**1790**	**1051626.00**	**1233310.00**	**2284936.00**
5	मिर्जापुर	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, मिर्जापुर	809	342	200925.00	235638.00	**436563.00**
		मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, सोनभद्र	637	270	158625.00	186030.00	**344655.00**
		मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, संतरविदासनगर	561	237	139238.00	163293.00	**302531.00**
		योग	**2007**	**849**	**498788.00**	**584961.00**	**1083749.00**
6	वाराणसी	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, वाराणसी	760	321	188588.00	221169.00	**409757.00**
		मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, चन्दौली	734	310	182125.00	213590.00	**395715.00**
		मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, गाजीपुर	1236	523	307263.00	360347.00	**667610.00**
		मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, जौनपुर	1773	750	440625.00	516750.00	**957375.00**
		योग	**4503**	**1904**	**1118601.00**	**1311856.00**	**2430457.00**
		महायोग	**17150**	**7256**	**4262905.00**	**4999384.00**	**9262289.00**

(रूपये बानवे लाख बासठ हजार दो सौ नवासी मात्र)

(नरेन्द्र प्रताप सिंह)

वित्त नियन्त्रक ।

संलग्नक-2

कार्यालय निदेशक प्रशासन एवं विकास पशुपालन विभाग, उ.प्र. लखनऊ।

पत्रांक 74 / प्रचार–शाखा / 2016--17 दिनांक 27-2-2017

चारा विकास अधिकारी
मुख्यालय।

आपके पत्र संख्या 06 / चारा / 3–डी0–59 / रा0यो0 / भाग–2 / 2016–17 दिनांक 02–02–2017 द्वारा चाही गयी सूचना के क्रम में प्रचार शाखा द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में दर अनुबन्ध हेतु आमन्त्रित निविदाओं में अपौस्टिक चारे एवं सेल्यूलोजिक वेस्टेज को उपचारित करके पौस्टिक चारा बनाने हेतु उपयोग होने वाली सामग्री की न्यूनतम अनुमोदत दरें से सम्बन्धित विवरण निम्नवत है।

मेसर्स, प्रिन्टिको प्रिन्टर्श 22 [illegible] नारायण रोड लखनऊ		दर प्रति नग (रूपये में)
मुद्रण कार्य हेतु	**बुकलेट** विभाग [illegible] प्राप्त कर साहित्य तथा चित्र तैयार करके अनुमोदन के उपरान्त कवर पन्ना 220 जी0एस0एम0 चार कलर में मुद्रित दोनो साइड तथा अन्दर के पन्ने 80 जी0एस0एम0 [illegible], दोनो साइड में मुद्रित आर्ट पेपर पर मुद्रित। कुल पन्नों की संख्या 24।	साइज ए–4 **38.50**

मेसस, सहयोगी इन्टर प्राइ[illegible]नगर लखनऊ			दर प्रति नग (रूपये में)
प्रदर्शन सामग्री हेतु	**स्प्रिकलर**– [illegible]पी0ई0 / पी0पी0 से निर्मित (प्रथम श्रेणी)	10 लीटर क्षमता वजन 500–600 ग्राम के मध्य	**549.00**
	प्लास्टिक शीट – पोलीथीन मैटेरियल से निर्मित (प्रथम श्रेणी)	200 माइक्रान आकार 90" X 60" इंच वजन 490 ± 50 ग्राम	**300.00**
		200 माइक्रान आकार 102" X 72" इंच वजन 650 ± 50 ग्राम	**389.00**

(डा0चरण सिंह यादव)
निदेशक प्रशासन एवं विकास
पशुपालन विभाग उ0प्र0 लखनऊ

व0नि0(चारा)
कृ0 तत्काल आ0का0
करें
28.02.17
FDO

R.Mi.(J.Latte)

कार्यालय निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

निविदा क्रमांक–1, 2 हेतु नियम तथा शर्ते

पशुपालन निदेशालय उ.प्र. लखनऊ द्वारा निविदा प्रपत्र में अंकित सामग्री आपूर्ति/कार्य के लिये दर अनुबन्ध हेतु केवल **पंजीकृत फर्म** से ही शर्त रहित सील बन्द निविदायें आमंत्रित की जाती है। जिसकी शर्तें तथा नियम निम्नवत् होगीं। इनका ध्यान पूर्वक अध्ययन करने के उपरान्त निविदा में भाग लें। निविदा दो बिड (तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड) पद्वति में आमन्त्रित की जा रही है। प्रत्येक आइटम के लिये अलग–अलग निविदायें भरनी होगी।

नियम तथा शर्ते :–

सामग्री/कार्य	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रूपये)	अर्नेस्ट मनी की धन राशि (रूपये) (E.M.D)	निविदा विक्रय का स्थान व अवधि	निविदा डालने का स्थान व अवधि	निविदा खुलने का स्थान व दिनांक तथा समय
1–मुद्रण कार्य 2–प्रदर्शन सामग्री	12,500=00+वैट 16,500=00+वैट	83,500=00 1,10,500=00	लेखा शाखा मुख्यालय प्रकाशन तिथि से 20.09.2016–6:00बजे तक	प्रचार शाखा मुख्यालय 21.09.2016 12:00 बजेतक	निदेशक, प्रशासन एवं विकास पशुपालन विभाग का कक्ष 21.09.2016–03:00बजेतक

<u>1– पात्रता एवं तकनीकी मानक</u>

क– निविदा क्रमांक 1– मुद्रण कार्य हेतु, निविदा क्रमांक–2 प्रदर्शन सामग्री हेतु निर्धारित तकनीकी मानक निविदा प्रपत्रों के साथ क्रमश प्रारूप (क) एवं (ख) में संलग्न हैं।

ख– निविदा क्रमांक–1 के मुद्रण कार्य हेतु फर्म का राजकीय मुद्रणालय का पंजीकरण प्रमाण–पत्र एवं कम से कम तीन वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। साथ ही एक बार में चार कलर मुद्रण करने की मशीन निविदादाता के पास होनी आवश्यक है।

ग– निविदा क्रमांक–2 में आमंत्रित सामग्री के लिये इच्छुक निर्माता/पंजीकृत आपूर्तिकर्ता जिन्हें आपूर्ति का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो निविदा के लिये पात्र होगें। जिसके लिये निर्माता होने की दशा में उद्योग विभाग से निर्गत एम0एस0एम0ई0 प्रमाण पत्र जिसमें सम्बन्धित उत्पाद का अंकित होना आवश्यक है। पंजीकृत आपूर्तिकर्ता के लिये वितरक प्रमाण पत्र के साथ सम्बन्धित निर्माता का एम0एस0एम0ई0 प्रमाण पत्र जिसमें सम्बन्धित उत्पाद का अंकित होना आवश्यक है, प्रस्तुत करना होगा।

घ– निविदा प्रपत्र में अंकित सामग्री/कार्य निदेशालय द्वारा निर्धारित किये गये चित्रों तथा साहित्य की थीम के अनुसार डिजाइन तैयार कर निदेशक, पशुपालन निदेशालय से अनुमोदित कराने के बाद ही सामग्री तैयार कर आपूर्ति/कार्य किया जाना होगा। आपूर्ति की जाने वाली सामग्री की दर जनपद मुख्यालयों पर आपूर्ति करते हुये, वाणिज्य कर के अतिरिक्त अन्य समस्त करों सहित होनी चाहिये।

<u>2– पूर्ण रूप से भरे हुये निविदा फार्म का जमा किया जाना।</u>

(क)–निविदा में अंकित प्रत्येक वर्ग की सामग्री/कार्य हेतु अलग–अलग निविदा फार्म भलीभाँति भरकर (सभी वाँछित संलग्नकों समेत) दिनांक 21.09.2016 समय 12:00 बजे तक पशुपालन निदेशालय की प्रचार शाखा में रखे निविदा बाक्स में डालना आवश्यक होगा।

(ख)–प्रत्येक निविदादाता को निर्धारित तकनीकी बिड (भाग–1) एवं वित्तीय बिड (भाग–2) दो–दो प्रतियों में (मूल प्रति एवं डुप्लीकेट प्रति के अंकन के साथ) भरकर अलग अलग लिफाफों मे सील बन्द कर एक बडे लिफाफे मे रख कर निविदा बाक्स में डालना होगा सभी लिफाफे पर वित्तीय वर्ष 2016–17 में " निविदा क्रमांक .... व आइटम क्रमांक..../..../...../..... " अंकित करना होगा अन्यथा निविदा मान्य नही होगी। निविदा की वैधता वित्तीय वर्ष 2016–17 तक के लिये होगी।

(ग)–सभी निविदादाताओं के लिये यह अनिवार्य होगा कि वे तकनीकी बिड के फार्म को ध्यानपूर्वक भलीभाँति भरकर स्वंय अपने हस्ताक्षर करें एवं उसके अनुसार स्पष्ट एवं स्वच्छ अभिलेख व साक्ष्य भी संलग्न करें। अन्यथा निविदा मान्य नही होगी।

(घ)– केवल वही निविदादाता वित्तीय बिड के मूल्यांकन के लिये अर्ह होंगे जो तकनीकी बिड के मूल्यांकन में सफल पाये जायेंगे। ऐसे निविदादाताओं को वित्तीय बिड के खोलने की सूचना ससमय दे दी जायेगी।

(ड)– वित्तीय बिड में दरो का उल्लेख निर्धारित फार्म मे ही करना अनिवार्य होगा। अन्यथा बिड मान्य नही होगी।

(च)– ससमय निविदा बाक्स में डाली गयी निविदा ही मान्य होगी। डाक/कोरियर आदि द्वारा प्रेषित निविदा पर विचार नही किया जायेगा। साथ ही निर्धारित समय के उपरान्त विलम्ब से निविदा प्रस्तुत करने पर भी विचार नही किया जायेगा।

(छ)– अर्नेस्ट मनी जो राष्ट्रीयकृत बैक द्वारा निर्गत एफ0डी0आर0 जो वित्तीय वर्ष 2016–17 तक वैध हो तथा निदेशक प्रशासन एवं विकास के पक्ष में बंधक हो को तकनीकी बिड के साथ उपलब्ध कराना होगा। अन्यथा निविदा मान्य नही होगी।

3– संलग्न किये जाने वाले आवश्यक अभिलेख / साक्ष्य

तकनीकी बिड के साथ वांछित निम्नलिखित अभिलेखों की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा तथा प्रपत्र अंग्रेजी अथ हिन्दी में ही मान्य होगें, अन्यथा निविदा पर विचार नही किया जायेगा।

1– घोषणा प्रपत्र (प्रारूप–1)।
2– चेक स्लिप निविदा क्रमांक .... के लिये (प्रारूप–2)।
3– निविदा क्रमांक–1 हेतु पात्रता एवं तकनीकी मानक के अनुच्छेद 'ख' के अनुसार प्रमाण पत्र सलग्न करना अनिवार्य है, अन्यः निविदा मान्य नही होगी।
4– निविदा क्रमांक–2 हेतु पात्रता एवं तकनीकी मानक के अनुच्छेद 'ग' के अनुसार प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य हैं, अन्यः निविदा मान्य नही होगी।
5– पिछले तीन वित्तीय वर्ष 2013–14,2014–15,2015–16 का आयकर विवरण एवं पैन कार्ड की स्व–प्रमाणित प्रति संलग्न करना होग
6– सेवा कर का पंजीकरण तथा वाणिज्य कर पंजीकरण एवं अद्यतन अदेयता का प्रमाणपत्र की स्व–प्रमाणित प्रतियॉ संलग्न कर अनिवार्य होगा।
7– तकनीकी मानक के अनुरूप सैम्पल तकनीकी बिड के साथ संलग्न कराना होगा, अन्यथा निविदा मान्य नही होगी।
8– निविदादाता आपूर्ति की जाने वाली सामग्री का नमूना तथा मुद्रण एवं विज्ञापन कार्य की निविदादाता फर्म पशुओं के प्रजाति नवीनतम चित्र जो विभाग द्वारा पूर्व मे मुद्रित न कराये गये हों उसको एक सी.डी. में संकलित कर फर्म की सील तथा हस्ता सहित एक सील्ड लिफाफे में तकनीकी बिड के साथ जमा करना अनिवार्य है अन्यथा निविदा पर विचार नही किया जायेगा।
9– पिछले तीन सालों मे प्रदेश के जनपदों में किसी शासकीय/अर्धशासकीय संस्था को सतोषजनक आपूर्ति के सम्बन्ध में उपयु प्रमाण पत्र स्व–प्रमाणित कर संलग्न करना होगा।
10– निर्धारित अर्नेस्टमनी जो कि बिन्दु 2 अनुच्छेद 'छ' के अनुसार हो मूल रूप में जमा करनी होगी।
11– पिछले तीन वित्तीय वर्ष 2012–13, 2013–14, 2014–15 का आडिटेड बैलेन्स शीट/ न्यूनतम टर्न ओवर 50 लाख प्रति वर्ष हं अनिवार्य है। अन्यथा निविदा मान्य नही होगी। यदि कोई निविदादाता सूक्ष्म अथवा लघु उद्योग होने की दशा में छूट प्राप्त क चाहता है तो उसे सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र की स्व प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगी तभी छूट पर वि किया जाना सम्भव होगा। अन्यथा निविदा मान्य नही होगी।
12– निविदादाता द्वारा रु. 100/– के नॉन जुडीशियल स्टाम्प पेपर पर यह शपथ–पत्र देना होगा कि फर्म किसी भी राजकीय विभाग काली सूची में दर्ज नहीं है, न ही कोई कार्यवाही विचाराधीन है। तथा उसके द्वारा अंकित दरें थोक बाजार भाव (जनपद मुख्याल में पहुँच सहित) से अधिक नही है। इस आशय का शपथ–पत्र तकनीकी बिड के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
13– निविदादाता की फर्म का विद्युत संयोजन वाणिज्यिक होना अनिवार्य है जिसके प्रमाण हेतु विगत माह के विद्युत बिल स्व–प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करनी होगी।
14– स्थायी पते के प्रमाण पत्र की स्व–प्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी।

4– दरों का प्रस्तुतीकरण

(क)– दर का अंकन रूपये में किया जाना होगा (शब्दो व अंको मे) ।
(ख)– दर निर्धारित यूनिट/पैकिंग के अनुरूप होनी चाहिये।
(ग)– दरें जनपद मुख्यालयों पर आपूर्ति की होनी चाहिये।

5–अनुबन्ध एवं जमानत धनराशि

क– सफल निविदादाता को दर अनुमोदन के बाद सूचित किये जाने पर 15 दिनों के भीतर निदेशालय द्वारा निर्धारित प्रारूप पर अनु करना आवश्यक होगा एवं अनुबन्ध लागत के सापेक्ष 5 प्रतिशत के बराबर जमानत धनराशि (100 के गुणांक में होगी) जो, राष्ट्रीय बैंक के एफ0डी0आर0 के रूप मे निर्गत तथा निदेशक (प्रशासन एवं विकास) पशुपालन विभाग के पक्ष में बन्धक हो अनुबन्ध के जमा करना होगा। जमानत धनराशि के प्रपत्र की वैधता कम से कम 30–04–2017 तक होनी आवश्यक है।
ख– सामग्री क्रय करने अथवा न क्रय करने का अधिकार निदेशक, पशुपालन विभाग उ.प्र. लखनऊ का होगा।
ग– यदि आपूर्तिकर्ता समयान्तर्गत निर्धारित समय में आपूर्ति करने में असफल रहता हैं अथवा विलंब से आपूर्ति करता है तो आपूर्ति गये सामग्री के मूल्य मे 0.5 प्रतिशत प्रति सप्ताह या उसके किसी भाग की दर से उसको भुगतान की जाने वाली धन रा कटौती कर ली जायेगी।
घ– वर्णित मात्रा से कम की आपूर्ति करने या आपूर्तित सामग्री की दी गयी विशिष्टियॉ उप मानक के अनुरूप नही पाई जाती उसकी जमानत राशिजब्त करते हुये आपूर्ति की गई सामग्री का कोई भी भुगतान नहीं किया जायेगा तथा फर्म को काली सू डाल दिया जायेगा।
ङ– ससमय आपूर्ति न होने की दशा में यदि किसी बाहय संस्था से अनुबन्धित सामग्री का क्रय करना पडता है एवं अनुमोदित द अधिक दर पर भुगतान विभाग को करना पडता है तो अधिक भुगतान की वसूली अनुबन्ध के अधीन सफल निविदादाता की ज राशि से नियमानुसार कर ली जायेगी। तदनुसार ही जमानत राशि वापस करने पर विचार किया जा सकेगा।
घ– क्रय आपूर्ति आदेश निर्गत होने की दशा में 15 दिनो के भीतर संतोषजनक आपूर्ति होनी आवश्यक है। संतोषजनक आपूर्ति उपरान्त ही भुगतान किया जायेगा। स्रोत पर कर कटौती नियमानुसार की जायेगी।

ड– प्रश्नगत निविदा को किसी भी स्तर पर निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार निदेशक (प्रशासन एवं विकास) पशु पालन विभाग उ.! लखनऊ का होगा।

च– निविदा से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति मे न्यायिक स्थल जनपद मुख्यालय लखनऊ होगा।

6–सामान्य शर्तें

क– निविदा खोलते समय निविदादाता फर्म/व्यक्ति/संस्था के मालिक अथवा उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि ही सहभागिता कर सके एवं विभाग से पत्राचार कर सकेगें।

ख– सफल निविदादाता को सम्बन्धित आइटम की आपूर्ति निदेशालय स्तर/ जनपद स्तर पर निर्गत क्रय आदेश के सापेक्ष करना होग क्रय आदेश बजट उपलब्धता एवं प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वीकृति के पश्चात जारी किये जा सकेगे। यह अधिकार निदेशक, प्रशास एवं विकास पशुपालन निदेशालय के पास सुरक्षित रहेगा।

ग– निविदाता का कार्य स्थल/मशीनरी तथा संसाधनो की पुष्टि विभागीय अधिकारियों द्वारा यथावश्यक की जायेगी कि निविदादाता क आदेश प्राप्ति के उपरान्त आपूर्ति करने में सक्षम हैं या नहीं। यदि कार्य स्थल/मशीनरी किसी अन्य फर्म की पाई जाती है निविदादाता की निविदा मान्य नही होगी तथा धरोहर राशि जब्त करते हुये फर्म को काली सूची में डाल दिया जायेगा।

घ– निविदादाता को किसी भी परिस्थिति में अनुमोदित दर से कम पर इसी प्रकार की सामग्री की आपूर्ति किसी अन्य संस्था/ व्यक्ति अनुबन्ध अवधि में नही करनी होगी। परन्तु यदि अनुबन्ध अवधि के भीतर आपूर्तिकर्ता द्वारा कम दर पर किसी अन्य संस्था हो आप की जाती है, तब इसकी सूचना अविलम्ब निदेशक, पशुपालन निदेशालय को उपलब्ध करनी होगी। आपूर्ति कर्ता के देय बिलो उसके अनुरूप कमी कर ली जायेगी। इस आशय का शपथ पत्र 100/– के नॉन जुडीशियल स्टाम्प पेपर संलग्न करना अनिव होगा। अन्यथा निविदा अमान्य होगी।

ङ– निविदादाताओं द्वारा दी गई वित्तीय बिड का मूल्यांकन एल–1 (प्रथम न्यूनतम दर) के आधार पर किया जायेगा। प्रथम न्यूनतम आधार पर ही निविदा के स्वीकार करने अथवा न करने का अन्तिम अधिकार निदेशक प्रशासन एवं विकास पशुपालन निदेशालय पास सुरक्षित रहेगा।

निविदादता का घोषणा पत्र

(1) मै..संस्था के अधिकृत प्रतिनिधि ने निविदा क्रमांक .... पर अंकित सामग्री की आ / कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 मे पशुपालन निदेशालय लखनऊ में करने के लिये निविदा डाली है। मैने निविदा प्रपत्र की शर्तो भली भाँति पढ लिया है तथा उन शर्तो व प्रतिबन्धो से सहमत हूँ एवं घोषणा करता हूँ कि उनका सदैव पालन करूँगा।मेरे द्वारा ड गयी निविदा में दी गई सूचनाओं से मै भलीभाँति परिचित हूँ तथा दी गयी सूचनायें/ साक्ष्य सत्य है। यदि उपलब्ध करायी गया सू किसी भी स्तर पर गलत व भ्रमित करने वाली पायी जाती है। तो मेरी निविदा को अमान्य करने के साथ–साथ मेरे विरूद्ध कानून अनुसार कार्यवाही भी की जा सकती है। मेरे द्वारा प्रस्तुत निविदा प्रपत्र में .... पृष्ठ हैं।

हस्ताक्षर
निविदादाता/फर्म का मालिक
पद/मोहर सहित

फर्म का नाम ....
फर्म का पूरा पता ....
....
दूरभाष संख्या ....
फैक्स संख्या ....